Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022 (PHALGUNA 6, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 फरवरी, 2022

संख्या–08/20/2021–1सी–II.– हरियाणा जीव अनाशित सामग्री विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, उपयोग, निपटान तथा कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1998 (1998 का 8) की धारा 3क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 2/8/2013–आर–II, दिनांक 20 अगस्त, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अप्रयुक्त और पुनःचक्रीकरण प्लास्टिक कैरी बैगों तथा अप्रयुक्त और पुनःचक्रित प्लास्टिक डिब्बों के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिबन्ध अधिरोपित करते है, अर्थातः–

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य में अप्रयुक्त और पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों और वस्तुओं जैसे प्लेटें, कप, टम्बलर, चम्मच, कांटे और स्ट्रॉ का विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय या उपयोग नही करेगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति, खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने, ले जाने, वितरण या पैंकिग करने के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने डिब्बों का उपयोग नही करेगा।

1. प्लास्टिक शीट तथा बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कैरी बैगों, प्लास्टिक शीटों या सदृश या आवरण का भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थातः–

(क) कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग या तो प्राकृतिक रंग में होगी जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित हैं या केवल उन्हीं रंजकों और रंगकों का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो "खाद्य पदार्थों, भेषजीय पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगकों की सूची" नामक शीर्ष से भारतीय मानकःआईएस 9833:1981 के अनुरूप है;

(ख) पुनःचक्रित प्लास्टिक से बनाए गए कैरी बैग या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बनाए गए उत्पादों को खाने या पीने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने, ले जाने, वितरण या पैकिंग करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ग) अप्रयुक्त या पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग पचहतर माइक्रोन्स से कम मोटाई और 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस माइक्रोन्स से कम मोटाई के नही होंगे;

(घ) प्लास्टिक शीट या सदृश, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है, की मोटाई पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी प्लास्टिक शीट उत्पाद के कार्यरण में बाधक हो;

(ङ) विनिर्माता, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैद्य रजिस्ट्रीकरण नहीं रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को नहीं बेचेगा या नहीं उपलब्ध कराएगा या नहीं व्यवस्था करेगा;

(च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भण्डारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(छ) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए दिशा–निर्देश नामक शीर्ष से भारतीय मानकःआई एस 14539:1998 के अनुरूप होगा;

(ज) मोटाई का प्रावधान, कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैगों और वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग, कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए यथा विनिर्दिष्ट शीर्ष भारतीय मानकः आईएस 17088:2008 के अनुरूप होंगे। कंपोस्ट योज्य कैरी बैगों या वस्तुओं के विनिर्माता या विक्रेता, विपणन या विक्रय करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे;

(झ) विनायल एसिटेट–मलेइक एसिड– विनायल क्लोराइड कोपॉलिमर सहित किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकेज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा;

(ञ) गैर–बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

2. प्रथम जुलाई, 2022 से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन, वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगाः–

(i) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ii) प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, पीपा, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन्स से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर;

परन्तु पैरा 2(ii) के उपबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

3. मार्का या लेबल लगानाः–

(i) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग पर अग्रेंजी में निम्नलिखित जानकारी मुद्रित की जाऐगी, अर्थातः–

(क) कैरी बैग और ब्रैंड के स्वामी द्वारा उपयोग प्लास्टिक पैंकेजिंग की दशा में विनिर्माता, उत्पादक या ब्रैंड स्वामी का नाम, उसका रजिस्ट्रिकरण संख्या और मोटाई; और

(ख) आयातित सामग्री के लिए उपयोग हेतु बहुस्तरीय पैंकेजिंग को छोड़कर बहुस्तरीय पैंकेजिंग की दशा मे विनिर्माता का नाम और उसका रजिस्ट्रिकरण संख्या;

(ग) कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग की दशा में नाम और प्रमाण पत्र संख्या;

(ii) प्रत्येक पुनःचक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुनःचक्रित" लेबल या चिन्ह होगा और पुनःचक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक शीर्ष भारतीय मानकः आईएस 14534:1998 के अनुरूप होगा।

व्याख्याः– इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,–

(i) "कैरी बैग" से अभिप्राय है, प्लास्टिक सामग्री व कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया बैग, जो ऐसी वस्तुओं को ले जाने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैंकेजिंग करने के लिए अभिन्न भाग है, जिसमें माल उपयोग के पूर्व सील किये जाते हैं;

(ii) "वस्तु" से अभिप्राय है, ऐसी मूर्त मद, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है और इसमें सभी विपणन योग्य माल या सामान सम्मिलित है;

(iii) "कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक" से अभिप्राय है, ऐसी प्लास्टिक, जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन–डाई–आक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और पारम्परिक पेट्रो–आधारित प्लास्टिक को छोडकर अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(iv) "विनिर्माता" से अभिप्राय है तथा इसके शामिल हैं, उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा कोई व्यक्ति या इकाई या अभिकरण;

(v) "बहुस्तरीय पैंकेजिग" से अभिप्राय है, पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त की गई या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम स्तर रखती है जैसे कागज, कागज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह–बहिर्वेधन रूप में है;

(vi) "बिना बुने प्लास्टिक बैग" से अभिप्राय है, यांत्रिक अथवा थर्मल अथवा रासायनिक साधनों द्वारा एक–साथ बंधे हुए जटिल प्लास्टिक फाइबरों या तंतुओं (और छिद्रित फिल्मों द्वारा) की प्लास्टिक की शीट अथवा वेब आकार के कपड़े से बने हुए बिना बुने प्लास्टिक के बैग और बिना बुने कपड़े से अभिप्राय है, ऐसी समतल अथवा

गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट, जो प्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक फाइबरों, पिंघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की फिल्मों से बनाई जाती है;

(vii) "प्लास्टिक" से अभिप्राय है, ऐसी सामग्री, जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपीलीन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रीलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामाग्री, पोलीफिनाइलिन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलिन टेरेफिथालेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अन्तर्विष्ट हो;

(viii) "प्लास्टिक शीट" से अभिप्राय है, प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक शीट

(ix) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण" से अभिप्राय है, ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पादनों में पुनःउपयोग, पुनःचक्रण, सह–प्रसंस्करण अथवा परिवर्तन के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है;

(x) "उत्पादक" से अभिप्राय है, कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या सदृश के विनिर्माण या आयात में लगा कोई व्यक्ति और इसमें प्लास्टिक शीट या सदृश या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(xi) "पुनः चक्रीकरण" से अभिप्राय है, नए उत्पादों को उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया;

(xii) "एकल प्लास्टिक से बनी वस्तु" से अभिप्राय है, प्लास्टिक की ऐसी वस्तु, जिसके निपटान अथवा पुनःचक्रण से पहले उसे एक ही प्रयोजन के लिए एक बार ही उपयोग किया जाना है;

(xiii) "पथ विक्रेता" का वही अर्थ होगा, जो पथ विक्रेता (आजीविक का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में दिया है;

(xiv) "थर्मोस्टेट प्लास्टिक" से अभिप्राय है, ऐसा प्लास्टिक, जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है और इसे वांछित आकार में ढाला नहीं जा सकता है;

(xv) "थर्मोप्लास्टिक" से अभिप्राय है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और इसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है;

(xvi) "अप्रयुक्त प्लास्टिक" से अभिप्राय है, ऐसी प्लास्टिक सामग्री, जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है;

आगे हरियाणा जीव अनाशित सामग्री विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, उपयोग, निपटान तथा कूड़ा–कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1998 (1998 का 8) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को संलग्न अनुसूची में दी गई राशि के भुगतान पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के प्रशमन के लिए उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत करते हैंः–

(1) हरियाणा में सभी जिला मजिस्ट्रेट;

(2) सभी आयुक्त, नगर निगम;

(3) सभी जिला नगरपालिका आयुक्त;

(4) हरियाणा में सभी अपर उपायुक्त;

(5) सभी जिला विकास पंचायत अधिकारी;

(6) सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट;

(7) सभी सिटी मजिस्ट्रेट;

(8) नगर परिषद् के कार्यकारी अधिकारी;

(9) सभी सचिव, नगरपालिका समितियां;

(10) सभी सहायक आयुक्त, नगर निगम;

(11) सभी संयुक्त आयुक्त, नगर निगम;

(12) सभी कार्याकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग;

(13) सभी जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य, नगारिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग;

(14) सभी सहायक खाद्य तथा आपूर्ति अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग;

(15) सभी जिला नगर योजनाकार, नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग;

(16) सभी सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी स्थानीय विकास प्राधिकरण;

(17) सभी खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी;

(18) सभी तहसीलदार;

(19) सभी नायब तहसीलदार;

(20) सभी क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(21) सभी सहायक पर्यावरणीय अभियंता, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(22) सभी वैज्ञानिक "ख" हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(23) सभी कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(24) सभी सचिव, मण्डी समितियों;

उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 24 पर वर्णित अधिकारी, अनुबंध क से संलग्न प्रोर्फोमा में सम्बधित जिला मजिस्ट्रेट को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

सभी जिला मजिस्ट्रेट, अनुबंध ख से संलग्न प्रोर्फोमा में राज्य सरकार को समेकित मासिक विवरणी भेजेंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	कैरी बैग की निषिद्ध किस्म का गुणवत्ता	राशि रूपए में
(1)	(2)	(3)
1	100 ग्राम तक	500 / —
2	101 से 500 ग्राम तक	1500 / —
3	501 ग्राम से एक किलो तक	3000 / —
4	एक किलो ग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक	10000 / —
5	पांच किलोग्राम से अधिक दस किलोग्राम तक	20000 / —
6	दस किलोग्राम से अधिक	25000 / —

अनुबन्ध क

हरियाणा जीव अनाशित सामग्री विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, उपयोग, निपटान तथा कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1998 के अधीन प्रशमित अपराध की मासिक विवरणी

सेवा में

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला————

मास के लिए विवरणी

प्रशमन प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम

सक्षम प्राधिकारी

क्रम संख्या	(पक्षकार का नाम) जिसको चालान जारी किया गया है।	किया गया अपराध	वसूल प्रशमन फीस	खजाना, वाउचर संख्या तथा तिथि, जिस द्वारा जमा किया गया है	टिप्पणी, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6
1					
2					

स्थानः

नाम

दिनांकः

मोहर सहित प्रशमन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुबन्ध ख

हरियाणा जीव अनाशित सामग्री विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, उपयोग, निपटान तथा कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1998 के अधीन प्रशमित अपराध की मासिक विवरणी

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।

मास के लिए विवरणी———–जिला———————–

क्रम संख्या	प्रशमन प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम	चालान किए गए मामलों की संख्या	तिथि सहित न्यायालय को भेजें गए मामलों की संख्या	प्रशमित मामलों की संख्या	वसूल प्रशमन फीस	खजाना, वाउचर संख्या तथा तिथि	टिप्पणी, यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थानः

नाम

दिनांकः मोहर सहित प्रशमन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 25th February, 2022

No. 08/20/2021-1C-II.— In exercise of the powers conferred under section 3A of the Haryana Non-biodegradable Material Manufacturing, Sale, Distribution, Stock, Usage, Disposal and Garbage Control Act, 1998 (8 of 1998)and in supersession of the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 2/8/2013-R-II, dated the 20th August,2013,the Governor of Haryana hereby imposes the following prohibitions on the manufacture, sale, distribution, stocking, transportation and use of virgin and recycled plastic carry bags and recycled plastic containers with immediate effect, namely:-

(A) No person shall manufacture, stock, distribute, sell or use carry bags and articles such as plates, cups, tumblers, spoons, forks and straws made of virgin or recycled plastic in the State.

(B) No person shall use containers made of recycled plastic for storing, carrying, dispensing or packaging of foodstuff.

(1) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) carry bags and plastic packaging shall either be in natural shade which is without any added pigments or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as "List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water";

(b) carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff;

(c) carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than Seventy Five (75) microns in thickness and One Hundred Twenty (120) microns in thickness with effect from the 31st December, 2022.

(d) plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impair the functionality of the product;

(e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee;

(f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;

(g) recycling of plastic waste shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics;

(h) the provision of thickness shall not be applicable to carry bags and commodities made up of compostable plastic. carry bags and commodities made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags or commodities shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling;

(i) plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

(j) non-woven plastic carry bag shall not be less than Sixty Gram Per Square Meter.

(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-

(i) ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;

(ii) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, tray, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers;

Provided that the provisions of para 2 (ii) shall not apply to commodities made of compostable plastic.

(3) Marking or labelling.-

(i) Each plastic carry bag, plastic packaging and multilayered packaging shall have the following information printed in English, namely:-

(a) name, registration number of the manufacturer, producer or brand owner and thickness in case of carry bag and plastic packaging used by the brand owner;

(b) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging, excluding multi-layered packaging used for imported goods; and

(c) name and certificate number of producer in case of carry bags made from compostable plastic

(ii) Each recycled carry bag shall bear a label or a mark “recycled” and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as “Guidelines for Recycling of Plastics.

Explanations: For the purposes of this notification;

(i) “carry bags” mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

(ii) "commodity" means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;

(iii) “compostable plastic” mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(iv) “manufacturer” means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer.

(v) “multilayered packaging” means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such aspaper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(vi) “non-woven plastic bag” means Non-woven plastic bag made up of plastic sheet or web structured fabric of entangled plastic fibers or filaments (and by perforating films)

bonded together by mechanical or thermal or chemical means, and the "non-woven fabric" means a flat or tufted porous sheet that is made directly from plastic fibres, molten plastic or plastic films;

(vii) "plastic" means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyle, low density polypropylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, polybutylene terephthalate.

(viii) "plastic sheets"means plastic sheet is the sheet made of plastic.

(ix) "plastic waste processing"means any process by which plastic waste is handled for the purpose of reuse, recycling, co-processing or transformation into new products.

(x) "producer" means persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;

(xi) "recycling" means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;

(xii) "single-use plastic commodity" mean a plastic item intended to be used once for the same purpose before being disposed of or recycled.

(xiii) "street vendor" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014);

(xiv) "Thermoset plastic" means a plastic which becomes irreversibly rigid when heated and hence cannot be remoulded into desired shape;

(xv) "Thermoplastic" means a plastic which softens on heating and can be moulded into desired shape,

(xvi) "virgin plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste.

Further, in exercise of the powers conferred undersub section (1) of section 11 of the Haryana Non-biodegradable Material Manufacturing, Sale, Distribution, Stock, Usage, Disposal and Garbage Control Act, 1998, (8 of 1998), the Governor of Haryana hereby authorizes the following officers within their respective jurisdiction to compound any offence punishable under the Act on the payment of the sum given in a Schedule attached.

(1) All District Magistrates in Haryana.

(2) All Commissioners, Municipal Corporations.

(3) All the District Municipal Commissioners.

(4) All Additional Deputy Commissioners in Haryana.

(5) All District Development Panchayat Officers.

(6) All Sub Divisional Magistrates.

(7) All City Magistrates.

(8) Executive Officers of Municipal Councils.

(9) All Secretaries, Municipal Committees.

(10) All Assistant Commissioners, Municipal Corporations.

(11) All Joint Commissioners, Municipal Corporations.

(12) All Executive Engineers, Public Health Engineering Department.

(13) All District Food and Supply Controllers, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.

(14) All Assistant Food and Supply Officers, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.

(15) All District Town Planners, Town and Country Planning Department.

(16) All Estate Officers, Haryana ShehriVikasPradhikaran.

(17) All Block Development and Panchayat Officers.

(18) All Tehsildars.

(19) All Naib Tehsildars.

(20) All Regional Officers, Haryana State Pollution Control Board.

(21) All Assistant Environmental Engineers, Haryana State Pollution Control Board.

(22) All Scientist "B", Haryana State Pollution Control Board.

(23) All Junior Environmental Engineers, Haryana State Pollution Control Board.

(24) All Secretaries, Marketing Committees.

All the Officers mentioned above at serial number 2 to 24 shall submit a monthly return to the concerned District Magistrate on the performa enclosed as Annexure A.

All the District Magistrates shall send a consolidated monthly return to the State Government on the performa enclosed as Annexure B.

Schedule		
Serial Number	Quantity of prohibited variety of carry bags	Amount in Rupees
(1)	(2)	(3)
1	Upto 100 gms	500
2	101-500 gms	1500
3	501 gms- 1 kg	3000
4	Above 1 kg to 5 kg	10000
5	Above 5 kg to 10 kg	20000
6	More than 10 kg	25000

Annexure A

Monthly return of the offences compounded under the Haryana Non-biodegradable Material Manufacturing, Sale, Distribution, Stock, Usage, Disposal and Garbage Control Act, 1998.

To

The District Magistrate,

District__________________

Return for the month of ____________

Name and designation of

the Compounding Authority______________

Serial Number	Challan issued to (Party Name)	Offences Committed	Composition fee recovered	Treasury, Voucher and Date, vide which Deposited	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

Name

Place: Signature of the Compounding

Date: Authority with seal.

Annexure B

Monthly return of the offences compounded under the Haryana Non-biodegradable Material Manufacturing, Sale, Distribution, Stock, Usage, Disposal and Garbage Control Act, 1998 in the District____________, Haryana

To

The Principal Secretary to Government Haryana
Urban Local Bodies Department
Chandigarh
Return for the month of ___________ District __________

Serial number	Name and Designation of the Compounding Authority	Number of cases Challaned	Number of cases Forwarded to the court with date	Number of Compounded cases	Composition fee recovered	Treasury, Voucher Number and date	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Name
Place: Signature of the Compounding
Date: Authority with seal

ARUN GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

9493—C.S.—H.G.P., Pkl.